**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2946**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**पद्म पुरस्कारों को रद्द करना/वापस लेने का उपबंध**

**2946. श्री ए॰ विजयकुमारः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों का पद्म पुरस्कार रद्द करने/वापस लेने का कोई उपबंध है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले अनेक व्यक्तियों को काली सूची में डाल दिया गया है या वे देश की जेलों में बंद हैं; और**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (घ): दिनांक **2** जनवरी **1954** की अधिसूचना संख्या **2**-प्रेस/**55**, **3**-प्रेस/**55** एवं **4**-प्रेस/**55** के अनुच्छेद संख्या **10** के अनुसार, राष्ट्रपति पद्म पुरस्‍कार को निरस्त एवं समाप्त कर सकते हैं। हालांकि, पद्म पुरस्कार देश की शीर्ष जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों के चरित्र और पूर्व जीवन की पुष्टि के उपरांत प्रदान किये जाते हैं। पद्म पुरस्कारों को निरस्त करने/वापस लेने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों/प्रतिवेदनों की जांच की जाती है और तत्पश्चात, अपेक्षित होने के दशा में, यथोचित कारवाई की जाती है ।

**\*\*\*\*\*\***